न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 27/2025 (Bank Case)

GCMS No.-2025/199

भारतीय स्टेट बैंक जिसका पंजीकृत कार्यालय :- भारतीय स्टेट बैंक भवन, एम.सी. रोड, नरीमन पाइन्ट, मुम्बई, महाराष्ट्र- 400021 में स्थित व कार्यरत है एवं जिसका एक शाखा कार्यालय तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा, तृतीय तल मैट्रिस मॉल, सेक्टर-4, जवाहर नगर, जयपुर (राज) जर्ये प्राधिकृत अधिकारी श्री सी.पी. टेकचानी।

— प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. Smt. Hemlata Hada W/o Sh. Udai Singh Hada (ऋणी / बंधककर्ता)
   Address: H.no. 3-KA-37, Vigyan Nagar, Kota- 324005
2. Sh. Shubham Hada s/o Sh. Udai Singh Hada (सह ऋणी)
   Address: H.no. 3-KA-37, Vigyan Nagar, Kota- 324005

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः-

श्री अमर सिंह नरूका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः- 28.01.2026

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि भारतीय स्टेट बैंक जिसका पंजीकृत कार्यालय :- भारतीय स्टेट बैंक भवन, एम.सी. रोड, नरीमन पाइन्ट, मुम्बई, महाराष्ट्र- 400021 में स्थित व कार्यरत है एवं जिसका एक शाखा कार्यालय तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा, तृतीय तल मैट्रिस मॉल, सेक्टर-4, जवाहर नगर, जयपुर (राज) में स्थित व कार्यरत है। अप्रार्थी ने दिनांक 07.07.2018 को रूपये 32,55,000/- (अक्षरे रूपये बत्तीस लाख पचपन हजार मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे श्रीमती हेमलता हाडा पत्नी श्री उदय सिंह हाडा की एक आवासीय सम्पत्ति प्लॉट संख्या 3-KA-37, विज्ञान नगर, कोटा, राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षैत्रफल 936.12 वर्ग फीट है। जिसकी चर्तुःसीमाए पूरब में- मकान संख्या 3-क-36, पश्चिम में- मकान संख्या 3-क-38, उत्तर में- मकान संख्या 3-क-74-75, दक्षिण में- रोड 9 मीटर चौडी, को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 05.04.2025 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी के कुल बकाया रूपये 32,30,679.9/-रूपये (अक्षरेः- वत्तीस लाख तीस हजार छ सौ उन्हासी रूपये एवं नौ पैसे मात्र) दिनांक 01.09.2025 तक व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 01.09.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों को उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा धारा 13(2) के

अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 01.09.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे । हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 01.09.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये, इसके बावजूद के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी की श्रीमती हेमलता हाडा पत्नी श्री उदय सिंह हाडा की एक आवासीय सम्पत्ति प्लॉट संख्या 3-KA-37, विज्ञान नगर, कोटा, राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 936.12 वर्ग फीट है। जिसकी चर्तुसीमाए पूरब में– मकान संख्या ३–क–३६, पश्चिम में– आम रास्ता, उत्तर में– मकान संख्या ३–क–74–75, दक्षिण में– मकान संख्या ३–क–३८, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। इस आदेश की क्रियान्विति आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह बाद की जावें।

आदेश आज दिनांक 28 .01.2026 को सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)
जिला मजिस्ट्रेट कोटा,

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)